न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 121/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 22.12.2016
जीसीएमएस नम्बर :— 2016/00079

वादी :—
श्री गंगाराम पुत्र गोपीलाल जाति कुम्हार निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
बनाम
प्रतिवादीगण :—

1. श्री चिमनसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावत
2. प्रभुसिंह पुत्र मानसिंह जाति रावत निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
3. श्रीमान् तहसीदार महोदय (लैण्ड हौल्डर) तहसील रायपुर जिला ब्यावर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 वादी अधिवक्ता उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 08.02.2024

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथत तेली द्वारा दावा बाबत् वादपत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा सेन्दड़ा पटवार हल्का सेन्दड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 बारानी दोयम आई हुई है। यह कृषि भूमि वाद की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है जिसे आगे वाद में वाद ग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत् 2071—2074 वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावें। वादग्रस्त आराजी वादी की राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी दर्ज है। वादी अभी कुछ दिनांके के लिये घरेलु आवश्यक कार्य से बाहर गया हुआ था तो पिछे से को प्रतिवादी चिमनसिंह ने वादग्रस्त आराजी पर बिना किसी हक अधिकार के कुछ श्रा पर अतिकमण करते हुये बिना किसी हक अधिकार के मकान बनाना शुरु कर दिया और कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा है। तथा प्रतिवादी प्रभुसिंह ने बकाया वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर वादी की तारबन्दी पर ताला लगा दिया है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही था। जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी कि खातेदारी कब्जा काश्त भूमि थी वादी बाहर गया होने का फायदा उठाते हुऐ उक्त निर्माण कर दिया जब वादी दिनांक 12.09.2010 को वापस आया और अपनी वादग्रस्त भूमि को संभालने के लिये वह देखने के लिये मौके पर गया तब वादी को प्रथम बार जानकारी हुई तो उसेने प्रतिवादी चिमनसिंह को कहा कि मेरी उक्त भूमि पर अतिकमण करते हुये मकान क्यो बनाया रहे हो तथा प्रतिवादी प्रभुसिंह को कहा कि आपने मेरी कृषि भूमि पर कब्जा क्यो किया तो कहने लगे कि तुम्हारे से जो हो सो करती। मैने तो अतिकमण कर ऐलानियॉ धमकियॉ देते हुये हाथ पैर तोडने कि धमकियां देने लगा व कहने लगे की तुम्हारी बकाया भूमि पर भी कब्जा कर उक्त कब्जा भुमि में मिला देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या एक को वादी कि कृषि भुमि पर इस प्रकार पक्का निर्माण करने का कोई हक अधिकार नही है तथा ना ही प्रतिवादी संख्या दो को वादी की भूमि पर अवैध अतिकमण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

करने का कोई हक अधिकार नही है। तथा प्रतिवादीगण नाजायज रुप से बतौर अतिक्रमी के रुप में काबिज है जिसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिया जावे। इतना ही नही प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकीयां दी है कि अब सम्पूर्ण कृषि भूमि से वादी को बेदखल कर काश्त करेंगे। जबकि वादी ऐसा किसी भी सुरत में होने नही देगा। प्रतिवादीगण ने बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 617 व 618 पर अवैध रुप से बिना किसी हक अधिकार के मकान बना रहा है। जो मकान अवैध व नाजायज है जिसे वादी ध्वस्त करने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 30.11.2016 को उक्त खसरान पर से कब्जा हटाने कहा प्रतिवादीगण ने इन्कार हो गये। इस वादी अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा व कब्जा प्राप्त करने का वाद श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत है। वादी के खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी के रुप में कब्जा रहता है तो वह अन्य कृषि भूमि से बेदखल कर देते है व वादी की खातेदारी भूमि में और पक्के मकान निर्माण कर लेते है तो वादी को अपने जायज हक के अधिकारों से महरुम होना पडेगा व वादी को असीम क्षति होगी जिसकी मूल्यांकन मुद्रा में भी नही किया जा सकता है, इसलिये वादी की कृषि भूमि से बेदखल करने हेतु उक्त बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी वादी की कृषि भूमि पर बतौर अतिक्रमी के काबिज होने से वादी को प्रतिवादी बस्तीराम से लगान का 15 गुणा हर्जाना दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण दिनांक 30.11.16 अवैध रुप से वादी की उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर अवैध रुप से नाजायज कब्जा करने की ऐलानिया धमकियां दी व कहाँ कि बकाया आराजी पर भी कब्जा कर लेगा व उक्त वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करने को उतारु हुये तब वादी ने मना कर दिया लेकिन प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने को उतारु हो गये व वादी को ऐलानिया धमकिया दी कि के कुछ भाग पर तो मकान बना रहा है। व बकाया भाग व बकाया आराजी पर भी कब्जा करके निर्माण करेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अवैध कब्जा कर लेते है तो वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी लिहाजा वादी ने अपने हितो व अधिकारों कि सुरक्षा के लिये यह स्थाई निषेधाज्ञा व लेने का पुनः कब्जा का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद मे प्रतिवादी संख्या तीन को लैण्ड हॉल्डर होने से आवष्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। वाद मे प्रतिवादी संख्या 3 को बिना धारा 80 जाब्ता दिवानी का नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाया बया है। क्योंकि उक्त वाद के स्थाई निषेधाज्ञा का व बेदखली का है इसलिये वाद पेश कर अर्जेन्ट रिलीफ लिया जाना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रतिवादीगण कानुन को हाथ मे लेकर गलत व गैरमुमकिन कार्यवाही करने के लिये आमादा है, उस सुरत मे दो माह का नोटिस देकर उक्त वाद प्रस्तुत करने से उक्त वाद का मकसद ही विफल हो जावेगा इसलिये बिना नोटिस दिये दावा करने की इजाजत का प्रार्थना पत्र इस वाद के साथ सलंग्न किया जा रहा है और इजाजत ली जा रही है।उपरोक्त वाद का वाद कारण इस माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे उपरोक्त वाद के तथ्यो को देखते हुए दिनांक 30.11.2016 को उत्पन्न हुआ उसके बाद दिन व दिन उत्पन्न होता जा रहा है। जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार हक अख्त्यार का है। मालियत वाद बाबत बेदखली रूपये 100 रू. एंव स्थाई निषेधाज्ञा रूपये 100 रू. कायम कि जाकर मुकर सुदा फिक्स कोर्ट स्टाम्प रूपये 4/– नियमानुसार कोर्ट फिस पर पेश किया जा रहा है। इस्तेदुआ वादी की निम्न प्रकार है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय कि जारी कि जावे कि वाद में वर्णित सरहद मौजा सेन्दड़ा पटवार हल्का सेन्दड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 बारानी दोयम से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे व बतौर हर्जाना के लगान की राशि का 15 गुणा रकम भी दिलवाई जावे। व पक्का निर्माण प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावें कि सरहद मौजा सेन्दड़ा पटवार हल्का सेन्दड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 बारानी दोयम में वादी के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य हाली ऐजेन्ट किसी प्रकार कि बाधा अड़चन नही करे न करावें व किसी प्रकार का पक्का निर्माण मकान निर्माण चार दीवारी नही करें। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमावें। दौराने वाद किसी प्रकार का पक्का निर्माण कर देवे तो जरिये मेण्डेटरी प्रोहीबेटरी खुद खर्चे से हटवाया जावे। अन्य कोई सहायता जो वाद की रुह से वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलाई जावे। खर्चा वाद का प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की ओर से श्री कल्याणसिंह एवं श्री चन्द्रदीपसिंह भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामे पेश किये जो पत्रावली संलग्न किये गये हैं।। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिसमें उक्त वादपत्र में अंकित प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम चिमनसिंह पुत्र खंगारसिंह के स्थान पर चिमनसिंह पुत्र खीमसिंह नाम संशोधन/दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थें। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त वादपत्र पर जबावदावा पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं प्रस्तुत जबावदावा में खसरा नम्बर 617 618 में तत्कालीन खातेदा उरजाराम पुत्र शौभाराम ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 26.02.1973 को तत्कालीन खातेदार किशनचन्द्र भाटी से खरीद किया, उरजाराम ने अपने जीवनकाल में जरिये अन्तिम इच्छा/वसीयतनामा/पारिवारिक समझौता एवं उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त कृषि भूमि में उरजाराम के पुत्रान प्रत्येक के 1/4–1/4 हिस्सा आता था, वादी गोपीलाल का वारिस हैं, जिनका उरजाराम की वसीयत के अनुसार 1/4 हिस्सा आता था, तथा उस 1/4 हिस्से में गंगाराम स्वयं, उसकी पत्नि चान्ददेवी, पुत्रीया भंवरीदेवी, कमलादेवी, सुशीलादेवी, पार्वतीदेवी, मुन्नीदेवी भी हिस्सेदार थी। उक्त जबावादावा प्रस्तुत बताया कि वादपत्र में वर्णित कथन गलत, मनगढत एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है, इसमें चाहा गया अनुतोष वादी प्रापत होने का अधिकारी नही हैं, वादी का वाद काबिल खारिज के हैं। उक्त वादपत्र पर तनकीयात, कायम की गई हैं। जो पत्रावली संलग्न की गई है। जो निम्नानुसार हैं:–

आया सरहद मौजा सेन्दडा, पटवार हल्का सेन्दडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दडा के खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम का वादी खातेदार काश्तकार हैं,– जिम्मे वादी

आया सरहद मौजा सेन्दडा, पटवार हल्का सेन्दडा, भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा के खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम का कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादी प्राप्त करने का अधिकारी हैं– जिम्मे वादी।

आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से काबिल खारिज के हैं:– जिम्मे प्रतिवादी

आया वादी का वाद संख्या 138/2014 के विचारण रहते हुए नहीं चल सकता प्रास्थगित किये जाने योग्य हैं–जिम्मे प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आया वादी का वाद मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज के खारिज के हैं– जिम्मे प्रतिवादी वादी अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी का पेश किया हैं जो संलग्न किया गया हैं। वादी ने वाद उक्त अनवान का खसरा नम्बर 617 व 618 के कब्जे बाबत् एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा हैं। के अतिरिक्त कथने का इस वाद से काई लेना–देना नहीं हैं और नहीं प्रतिवादी उक्त वाद संख्या 138/14 के पक्षकार हैं प्रतिवादी को केवल मात्र वाद को तलब करने के उदेश्य से यह प्रार्थन पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया हैं जो काबिल खारिज के हैं। प्रतिवादीगण किसी भी सूरत मे चलने योग्य नहीं हैं काबिल खारिज के है। उक्त वाद द्वितीय वाद की श्रेणी में नहीं आता हैं इसलिए धारा 10 सीपीसी लागू नहीं होता हैं इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उक्त वादपत्र पर तहसीलदार रायपुर से मौका/कब्जा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। जिसमें भू.अभि.नि. सैन्दड़ा पटवारी हल्का सेन्दड़ा से जांच करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी व प्रतिवादीगण मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका स्थिति व राजस्व रेकर्ड का मिलान किया गया मौके पर खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 है. किस्म बा0दो0 में चिम्मनसिंह पिता खीमसिंह जाति रावत का रहवासी मकान दुकान तथा चार दिवारी पक्की बनी हुई है। तथा खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 है0 किस्म बारानी दोयम में प्रभुसिंह पिता मानसिंह जाति रावत ने पक्की चार दिवारी बनाकर बाडा बना रखा हैं। तथा इन्ही के कब्जे में खसरा नम्बर 617, 618 वर्तमान में स्थित है। मौके पर वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले पेश की जिनकी स्थिति इस प्रकार है वक्त सेटलमेन्ट संवत् 2029 – 2048 में बाबू रामचन्द्र मजकुरान नहरमल मुतवन्ना जुगलकिशोर कौम सुनार साकिन नया नगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जमाबन्दी 2031–34 में नामा. संख्या 72/1 से उरजा पिता सोभाराम कौम कुम्हार के नाम दर्ज हुआ है जिसमें आदेश कमांक/राजस्व/1144 दिनांक 28.07.1979 दर्ज है। तथा नामा. 349 से खातेदार उरजा पिता शोभाराम से वशीयत द्वारा गंगाराम पिता गोपीलाल कौम कुम्हार के नाम दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। नामान्तरण संख्या 566 से गंगाराम ने आर.एम.जी.बी. शाखा सेन्दड़ा के उक्त भूमि रहन कर दी थी। उपस्थित लोगो ने बताया कि उक्त मकान बाडे लगभग 30 वर्ष पुराने है तथा इससे भी पूर्व इस भूमि पर इन्हीं का कब्जा था। वर्तमान में आर.एम.जी.बी. को रहन मुक्त हो चुका है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। जिसमें प्रतिवादीगण का लगातार मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्षो एवं प्रतिवादीगण की ओर से 100 वर्षो से कब्जा पक्का रहवासी मकान मय चार दीवारी बनी हुई है एवं वादी का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जवाव नहीं देकर प्रार्थना पत्र बहस करने हेतु निवेदन किया हैं जिसमे बताया कि उक्त वादपत्र में हम वादीगण लम्बे समय से रेकर्ड खातेदार हैं एवं हम वर्तमान जमाबंदी में रेकर्ड खातेदार हैं इसीलिए उक्त कब्जा रिपोर्ट अनुसार हम वादीगण के पक्ष में कब्जा दिलाने के आदेश फरमावे । प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता हैं।

वादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त खसरा नम्बर 617 व 618 में तहसीलदार रायपुर से कब्जा रिपोर्ट अनुसार वादी का ही कब्जा पाया गया हैं इसीलिए प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं। इस पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने उक्त कब्जा रिपोर्ट पर भारी विरोध जताते हुए बताया कि उक्त वादपत्र खारिज करने योग्य हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक से अध्ययन किया गया एवं बहस, प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि के अवलोकन से सरहद मौजा सेन्दडा पटवार हल्का सेन्दडा के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण मुख्यतः बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड सरहद मौजा सेन्दडा पटवार हल्का सेन्दडा के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। उक्त पत्रावली में प्रतिकूल धारणा के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि से कब्जा दिलाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सेन्दडा पटवार हल्का सेन्दडा के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादीगण को बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादी :–
श्री गंगाराम पुत्र गोपीलाल जाति कुम्हार निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्री चिमनसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावत
2. प्रभुसिंह पुत्र मानसिंह जाति रावत निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
3. श्रीमान् तहसीदार महोदय (लैण्ड हौल्डर) तहसील रायपुर जिला ब्यावर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद 121/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सेन्दडा पटवार हल्का सेन्दडा के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 618 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादीगण को बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। न

ीज......................×................मुबलिक...............×.............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दयलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	07	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		16	00			07	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।